संख्या- 7/2017 /631/29-6-2017-104सा/09टीसी-10

प्रेषक,

राहुल भटनागर,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2017

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के लाभार्थियों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 64.43प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 78.48प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 62.82प्रतिशत लाभार्थियों का चयन हो चुका है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र ग़हस्थियों के चयन हेतु शासनादेश संख्या-2364/29-6-2014-104सा/09टीसी-10, दिनांक 07-10-2014 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।विभिन्न स्तरों पर यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उक्त चयनित लाभार्थियों में अनेक ऐसे लोग शामिल हैं, जो उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पात्र नहीं हैं तथा अनेक ऐसे व्यक्ति जो मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पात्र है, इस सूची में शामिल होने में छूट गये हैं। अत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभार्थियों की सूची को एक बार विस्तृत रूप से सत्यापन कराते हुए त्रुटिरहित सूची तैयार किया जाना आवश्यक है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) जिलाधिकारी द्वारा उचित दर दुकान स्तर पर सत्यापन टीम लगायी जाए जिसमें राजस्व, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, नगर विकास आदि विभागों के कर्मचारी जाएं।

(2) सत्यापन कार्य की समीक्षा हेतु न्याय पंचायत स्तर पर पर्यवेक्षक अधिकारी लगाए जाएं।

(3) कम्प्यूटर में फीड उचित दर दुकानवार लाभार्थियों की सूची एवं उनके फार्म का प्रिन्ट आउट निकालकर सत्यापन टीम को उपलब्ध कराया जाएं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) सत्यापन टीम द्वारा लाभर्थियों की सूची की एक प्रति किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया जाए तथा उन पर जन सामान्य की आपत्तियॉ प्राप्त किया जाए।

(5) माह मई के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सत्यापन टीम के अधिकारी/कर्मचारी सम्बन्धित ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर बैठकर नये आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एवं चस्पा की गयी सूची पर आपत्तियॉ प्राप्त करेंगे। इस कार्य के पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा जोनल/सेक्टर अधिकारी भी लगाए जाएं।

(6) सत्यापन टीम द्वारा घर-घर जाकर प्राप्त सूची एवं फार्म से सत्यापन किया जाए। सत्यापन के दौरान यदि कोई सूचना गलत अंकित है तो उसे सही नोट किया जाए। साथ ही फार्म में उल्लिखित अन्य जानकारियॉ भी नोट किया जाए।

(7) सत्यापन के पश्चात फार्म में स्पष्ट रूप से पात्र अथवा अपात्र अंकित किया जाए।

(8) सत्यापन के दौरान यदि कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अनुसार पात्र है, तो उसका नया फार्म भरवाया जाए।

(9) सत्यापन पूर्ण करने के पश्चात अपात्र पाए गए व्यक्तियों की सूची तथा नये पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाए।

(10) प्रत्येक उचित दर दुकानवार प्राप्त समस्त फार्मो को बाइडिंग कराकर रजिस्टर के रूप में सुरक्षित रखा जाए, जिसे न्याय पंचायत स्तर के पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी सत्यापित करेंगे।

(11) उक्त सूची को ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा की खुली बैठक में एवं नगरीय क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्बन्धित दुकान के वितरण क्षेत्र के निवासियों के मध्य पढा जाए तथा उसे सत्यापित कराते हुए आवश्यक संशोधन किया जाए।

(12) उक्त खुली बैठक में उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए।

(13) उक्त बैठक के बाद अपात्रों के एवं नये जुडने वाले पात्र व्यक्तियों की पृथक-पृथक अन्तिम सूची तैयार किया जाए।

(14) पाए गए अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाने एवं नये पात्र व्यक्तियों को सूची में जोडे जाने की कार्यवाही कम्प्यूटर में ऑनलाइन कराया जाए।

3- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निम्न कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं :-

<u>**राशनकार्ड सत्यापन की कार्य योजना (ग्रामीण क्षेत्र)**</u>

क्र.	कार्य	समय-सीमा
1.	जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेतावार सत्यापन टीमों	28.04.2017तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	की डयूटी लगाना एवं आदेशों की तामीला ।	
2.	ब्लाकवार सत्यापन टीमों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक सूचनाएं एवं अभिलेख् प्रदान किया जाना।	03.05.2017तक
3.	टीमों द्वारा घर-घर जाकर सूची का एक्स्क्लूजन एवं इन्क्लूजन क्राइटेरिया के अनुसार सत्यापन एवं अपात्रों को हटाना एवं पात्रों का चयन करना।	03.06.2017तक
4.	उक्तानुसार चिन्हित पात्र लाभार्थियों एवं अपात्रों की सूची बनाना।	14.06.2017तक
5.	ग्रामसभा की खुली बैठक में उस ग्रामसभा में आने वाली समस्त दुकानों से सम्बन्धित सत्यापित पात्रों की सूची एवं चयनित पात्रों तथा अपात्रों की सूची को सार्वजनिक स्थलों पर पढा जाना एवं अनुमोदित किया जाना तथा दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।	23.06.2017तक
6.	जिले स्तर पर पूरे जनपद की दुकानवार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों की सूची संकलित कर लाभार्थियों का डाटा ऑनलाइन अद्यतन/त्रुटिरहित किया जाना।	30.06.2017तक

<u>राशनकार्ड सत्यापन की कार्य योजना (नगरीय क्षेत्र)</u>

क्र.	कार्य	समय-सीमा
1.	जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नगर क्षेत्र के उचित दर विक्रेतावार सत्यापन टीमों की डयूटी लगाना एवं आदेशों की तामीला ।	28.04.2017तक
2.	सत्यापन टीमों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक सूचनाएं एवं अभिलेख् प्रदान किया जाना।	03.05.2017तक
3.	टीमों द्वारा घर-घर जाकर सूची का एक्स्क्लूजन एवं इन्क्लूजन क्राइटेरिया के अनुसार सत्यापन एवं अपात्रों को हटाना एवं पात्रों का चयन करना।	03.06.2017तक
4.	उक्तानुसार चिन्हित पात्र लाभार्थियों एवं अपात्रों की सूची बनाना।	14.06.2017तक
5.	समस्त दुकानों से सम्बन्धित सत्यापित पात्रों की सूची एवं चयनित पात्रों तथा अपात्रों की सूची को सार्वजनिक स्थलों पर पढा जाना एवं अनुमोदित किया जाना तथा दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।	23.06.2017तक
6.	जिले स्तर पर पूरे जनपद की दुकानवार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों की सूची संकलित कर लाभार्थियों का डाटा ऑनलाइन अद्यतन/त्रुटिरहित किया जाना।	30.06.2017तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को संलग्न प्रारूप पर सत्यापन कार्यक्रम के अद्यावधिक सूचना तथा सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 30 जून, 2017 तक पूर्ण कराते हुए समस्त अपात्रों को हटाये जाने एवं छूट गये पात्र अभ्यर्थियों को सम्मिलित किये जाने की आख्या आयुक्त, खाद्य एवं रसद को उपलब्घ करायी जाएं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या- (1)29-6-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
3- निदेशक,पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, कृषि विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।
6- नियंत्रक, बॉट-माप विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
7- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) उ0प्र0।
8- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,उ0प्र0।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शशि भूषण लाल सुशील)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राशनकार्ड लाभार्थियों का सत्यापन प्रारूप (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	बनायी गयी टीम की संख्या	कितनी ग्राम पंचायतों में टीम द्वारा घर-घर सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ सत्यापन सूची अन्तिम किए जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है	सत्यापन के पूर्व लाभार्थियों की संख्या		सत्यापन में पाए गये अपात्र व्यक्तियों की संख्या		सत्यापनोपरान्त पात्र सूची में शामिल किए गये नये लाभार्थियों की संख्या		सत्यापनोपरान्त कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या		कॉलम 14 तथा 15 के सापेक्ष लाभार्थियों का त्रुटिरहित डाटा के ऑनलाइन किए जाने की स्थिति	
							AAY	PHH	AAY	PHH	AAY	PHH	AAY	PHH	AAY	PHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

राशनकार्ड लाभार्थियों का सत्यापन प्रारूप (नगरीय क्षेत्र)

क्र.	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	कुल उचित दर दुकानों की संख्या	बनायी गयी टीम की संख्या	कितनी उचित दर दुकानों की टीम द्वारा घर-घर सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है	उचित दर दुकानें जहाँ सत्यापन सूची अन्तिम किये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है	सत्यापन के पूर्व लाभार्थियों की संख्या		सत्यापन में पाए गये अपात्र व्यक्तियों की संख्या		सत्यापनोपरान्त पात्र सूची में शामिल किए गये नये लाभार्थियों की संख्या		सत्यापनोपरान्त कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या		कॉलम 15 तथा 16 के सापेक्ष लाभार्थियों का त्रुटिरहित डाटा के ऑनलाइन किए जाने की स्थिति	
								AAY	PHH	AAY	PHH	AAY	PHH	AAY	PHH	AAY	PHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।